न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 65/2020
3. उनवान : सरकार जरिये डॉ आभा जैन, जिला रसद अधिकारी

बनाम

श्री राजेश कुमार जैन पुत्र श्री चौथमल जैन, उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 1–6, ग्रा.पं. रामपुराअती, तहसील सांगानेर जिला जयपुर निवासी नेहरू बाजार, बगरू, सांगानेर।

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी डॉ. आभा जैन, जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.10.2011 को उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 1 से 6, ग्राम पंचायत रामपुराअती तहसील सांगानेर में दौराने निरीक्षण कुल 5621 कि.ग्रा. गेहूं स्टॉक में होना चाहिए था परन्तु भौतिक सत्यापन पर 6550 कि.ग्रा. गेहूं स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार 929 कि.ग्रा. गेहूं अधिक पाया गया व नीले केरोसीन के स्टॉक में दर्ज 1600 लीटर के विरुद्ध 1760 लीटर नीला केरोसीन भौतिक सत्यापन पर पाया गया। इस प्रकार 160 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं एवं केरोसीन के पाये जाने के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द निरीक्षण, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी स्वयं दिनांक 03.01.2012 को उपस्थित हुआ तत्पश्चात अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.02.2012 को अभिभाषक श्री के.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी द्वारा लम्बे समय तक जवाब पेश नहीं करने की स्थिति में दिनांक 15.12.2014 को जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थीयान को आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 17.10.2011 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक से अधिक मात्रा में भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू व केरोसीन मय लोहे के ड्रम को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त बीपीएल गेहूं व नीला केरोसीन प्रथम दृष्ट्या कालाबाजारी करने हेतु रखा पाया गया था, जो राजस्थान आवश्यक एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 929 कि.ग्रा. बीपीएल गेहूं व 160 नीला केरोसीन मय लोहे के 1 ड्रम (फर्द अनुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।